आदेश	कार्यवाही विवरण
10/7/24	पत्रावली उप खण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष एक माह के कारण रखी गई। पत्रावली पेश होने दिनांक 18/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)
18/7/24	पत्रावली उप खण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष एक माह के कारण रखी गई। पत्रावली पेश होने दिनांक 30/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)
30/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में राजकार्य की व्यस्तता के कारण आदेश नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 02/8/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)
02/08/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा विद्वान आवेदकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अनावेदकगण अर्थात अराजीयात के रिकार्ड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नहीं है। वर्तमान में अराजीयात अनावेदकगण के सासससुर/दादा के नाम से दर्ज रिकार्ड है। आवेदकगण ने अराजीयात को पैतृक भूमि बताते हुये अधिकार सृजित करवाने हेतु वादपत्र व प्रार्थना पत्र पेश किये। आवेदकगण के हक - हकुकों का निर्णय

कार्यवाही विवरण	अनुपालन क्रमांक व दि
वादपत्र में विधिवत सुनवाई के पश्चात तय होना है। उपरोक्त विवेचन से जाहिर होता है कि एक रिकार्ड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं फरमाया जा सकता। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत 56 फ० अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है। आदेश आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत 56 फ० अस्थाई निषेधाज्ञा आधारहीन मानते से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 02/08/2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखील दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)	

Scanned with OKEN Scanner